

# 1

## भारत में जी.एस.टी. : एक परिचय

### [GST IN INDIA : AN INTRODUCTION]

#### सीखने का परिणाम (Learning Outcomes)

इस अध्याय के अध्ययन के पश्चात्, आप निम्न में सक्षम होंगे :

- ❑ कर की अवधारणा का विश्लेषण और उसके उद्ग्रहण का उद्देश्य
- ❑ प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों की अवधारणा और दो प्रकार के करों के मध्य अंतर को वर्णित कीजिये।
- ❑ अप्रत्यक्ष करों की मूल विशेषताओं और भारत में प्रमुख अप्रत्यक्ष करों का वर्णन कीजिए।
- ❑ जी.एस.टी. अवधारणा और भारत में जी.एस.टी. की आवश्यकता समझाइए।
- ❑ भारत में प्रचलित जी.एस.टी. की संरचना और जी.एस.टी. के प्रचलन से उपर्जनीय विभिन्न लाभों को समझना।
- ❑ विभिन्न करों के उद्ग्रहण सम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानों को समझाइए।
- ❑ जी.एस.टी. में संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता को समझाइए।
- ❑ संविधान (101वां संशोधन) अधिनियम, 2016 द्वारा किये गये महत्वपूर्ण संशोधनों की विवेचना कीजिये।

## अध्याय अवलोकन



### 1. पृष्ठभूमि (Background)

किसी भी कल्याणकारी राज्य में, सरकार का यह प्रमुख दायित्व है कि देश की बढ़ती विकासशील आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये सक्रिय रहे। जिसके लिये सार्वजनिक व्यय अपेक्षित हैं। भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में, कल्याणकारी राज्य के दायित्वों की पूर्ति के लिये अपने सीमित साधनों के साथ प्रयासरत है; इसके राजस्व का प्रमुख स्रोत—कर उद्ग्रहण है। तथापि सरकार को अधिकाधिक राजस्व की उपलब्धि के लिये कर संग्रहण का विस्तार अपेक्षित है। भारत सरकार सार्वजनिक सेवाओं के लिये, अनेक वर्षों से आर्थिक विकास के लिये आवश्यक प्रशुल्क नीति के उपाय के रूप में कर संग्रहण को बढ़ा रही है। अतः सरकार के सामाजिक—आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करों का संग्रहण किया जा रहा है।

**कर क्या है ?** कर को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है,

“सरकार को सहारा देने के लिए व्यक्तियों और सम्पत्तियों के स्वामियों पर आवश्यक भार है, जिसमें विधायी अधिकार के द्वारा भुगतान प्राप्त किया जाता है। “कर” ऐच्छिक भुगतान या दान नहीं है, वरन् विधायी अधिकारिता, के अंशदान के रूप में उद्गृहीत है।”

सरल शब्दों में, कर एक ऐसा मौद्रिक भार है, जिसको लोगों द्वारा सरकार को अवश्य भुगतान किया जाना है, जिसको सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धि में प्रयोग किया जाता है।

## 2. प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर (Direct and Indirect Taxes)

करों को मुख्यतः प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों में वर्गीकृत किया जाता है।

**प्रत्यक्ष कर** : प्रत्यक्ष कर एक प्रकार का भार है, जो प्रत्यक्ष रूप से कर दाता पर आरोपित (Imposed) किया जाता है और उसी व्यक्ति (न्यायिक या प्राकृतिक) द्वारा सरकार को चुकता किया जाता है, जिस पर आरोपित किया गया था। प्रत्यक्ष कर ऐसा कर है जिसको करदाता द्वारा किसी अन्य पर शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। भारत आरोपित प्रत्यक्ष कर 'आयकर' है।

**अप्रत्यक्ष कर** : यदि कर दाता एक माध्यम मात्र है और प्रत्येक स्तर पर कर भार आगे टाला जाता रहता है जब तक कि यह अंततः उपभोक्ता तक पहुँचता है, जो वास्तव में उसका भार वहन करता है, ऐसा कर अप्रत्यक्ष कर होता है। अप्रत्यक्ष कर ऐसा कर है, जिसको कर दाता द्वारा किसी अन्य पर शिफ्ट किया जा सकता है।

इसका करापात उपभोक्ता द्वारा वहन किया जाता है, जो अन्ततः उस सेवा या उत्पाद का उपभोग करता है, जब कर भुगतान का निकट दायित्व किसी अन्य जैसे कि—निर्माता या सेवा प्रदाता या माल का विक्रेता पर होता है।


इसको उपभोक्ता कर भी कहते हैं, ऐसा कर प्रतिगामी (Regressive) प्रकृति का होता है, क्योंकि यह भुगतान की क्षमता के सिद्धान्त पर आधारित नहीं होता है। सभी उपभोक्ता, आर्थिक रूप से अप्रत्यक्ष कर का भार समान रूप से वहन करते हैं।

अप्रत्यक्ष करों का उपभोग, व्यय विशेषाधिकार अथवा अधिकार पर होता है, परन्तु आय या सम्पत्ति पर नहीं। अभी तक अनेक प्रकार के अप्रत्यक्ष कर भारत में उद्गृहीत होते थे, नामतः उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा कर, CST, वैट, प्रवेश कर, क्रय कर, मनोरंजन कर, लॉटरी, शर्त या जुआ पर कर, विलासिता कर, विज्ञापन कर आदि।

तथापि, भारत में अप्रत्यक्ष कराधान में 1 जुलाई, 2017 से क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ जिसके अधीन एकीकृत अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में अनेक केन्द्रीय एवं राज्यस्तरीय अप्रत्यक्ष करों को एकल कर में समाहित किया गया है जिसे "माल एवं सेवा कर" कहते हैं। अप्रत्यक्ष कर सुधार के क्षेत्र में GST का प्रचलन भारत में एक प्रमुख चरण है। 'सीमा शुल्क' पूर्व की भाँति GST पश्चात् भी लागू रहेगा।

समस्त विश्व में अर्थशास्त्री इस पर सहमत हैं कि प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर एक-दूसरे के पूरक हैं और इसलिये किसी विवेकपूर्ण कर संरचना में दोनों प्रकार के करों का शामिल होना अपेक्षित है।

इण्टरमीडिएट स्तर पर हम अध्ययन करेंगे 'माल एवं सेवा कर' की अवधारणा— पूर्ति की अवधारणा, GST का भार विमुक्तियाँ पूर्ति के मूल्य एवं समय की अवधारणाएँ, इनपुट टैक्स क्रेडिट, पंजीयन कर, बीजक, क्रेडिट और डेबिट नोट्स, रिटर्न्स और भुगतान, सीमा शुल्क विधान, फाइनेल स्तर पर विवेचित किया जायेगा।



### 3. अप्रत्यक्ष करों की विशेषताएँ (Features of Indirect Taxes)

- (i) **राजस्व का महत्वपूर्ण स्रोत (An Important Source of Revenue)** : विश्व स्तर पर सरकारों के कर राजस्वों का प्रमुख स्रोत अप्रत्यक्ष कर हैं और अधिकाधिक देशों में उपभोगाधारित करारोपण व्यवस्था के प्रचलन से यह स्रोत और अधिक बढ़ता ही जा रहा है। भारत में केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों के कर राजस्वों का 50% से अधिक भाग अप्रत्यक्ष करों द्वारा प्राप्त होता है।
- (ii) **वस्तुएं एवं सेवाओं पर कर (Tax on Commodities and Services)** : यह कर वस्तुओं के निर्माण या क्रय या विक्रय या उनके आयात/निर्यात के समय उद्गृहीत किया जाता है। अतः इसको वस्तु करारोपण भी कहते हैं। यह सेवाओं के प्रावधान पर भी उद्गृहीत होता है।
- (iii) **भार की शिफ्टिंग (Shifting of Burden)** : अप्रत्यक्ष करों के सम्बन्ध में कर भार को शिफ्ट किया जाता है। उदाहरणार्थ, माल के पूर्तिकर्ता द्वारा चुकता GST की वसूली क्रेता से, माल की लागत में कर को शामिल करके, की जाती है।
- (iv) **प्रत्यक्ष कोंचना अनुभूति नहीं (No perception of Direct Pinch)** : चूँकि अप्रत्यक्ष कर का मूल्य सामान्यतः वस्तु के मूल्य में निहित होता है, अधिकांश समय पर कर दाता इसका भुगतान बिना इस तथ्य को जाने करता है कि वह सरकार को कर भुगतान कर रहा है। इस प्रकार करदाता अप्रत्यक्ष कर भुगतान करते समय, उसकी प्रत्यक्ष कोंचना का अनुभव नहीं करता है।
- (v) **मुद्रा प्रसार (Inflationary)** : माल और सेवाओं पर आरोपित करों से सभी स्तरों पर मूल्य वृद्धि होती है। अन्य शब्दों में, अप्रत्यक्ष करारोपण से माल और सेवाओं के मूल्यों में प्रत्यक्ष वृद्धि होती है और मूल्य वृद्धि की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है।
- (vi) **विस्तृत कर आधार (Wider tax Base)** : प्रत्यक्ष करों से भिन्न, अप्रत्यक्ष करों का विस्तृत आधार होता है। अधिकांश माल और सेवाएँ नीची प्रारम्भिक विमुक्त सीमाओं के साथ अप्रत्यक्ष करों के अधीन होती है।
- (vii) **प्रवृत्तकों की कल्याणकारी सहायता (Promotes Social Welfare)** : हानिकारक माल के उपभोग पर उच्च दर से करारोपण किया जाता है (जिन्हें SIN GOODS भी कहते हैं), जैसे कि—शराब उत्पाद, तम्बाकू उत्पाद आदि। इससे न केवल इनका उपभोग नियंत्रित होता है वरन् सरकार को भी पर्याप्त राजस्व प्राप्त होता है।
- (viii) **प्रतिगामी प्रकृति (Regressive in Nature)** : सामान्यतः अप्रत्यक्ष कर प्रतिगामी प्रकृति के होते हैं। सामान्य उपभोग की वस्तुओं पर अमीर एवं गरीब को समान दर से कर भुगतान करना होता है। इससे अमीर एवं गरीब के मध्य आय की विषमताएँ बढ़ती हैं।

### 4. भारत में जी.एस.टी. का इतिहास (Genesis of GST in India)


- वर्ष 2000 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने जीएसटी की संकल्पना का प्रतिपादन किया और देश के लिए माल एवं सेवा कर (जीएसटी) मॉडल को डिजाइन करने के लिए एक समिति की स्थापना की। वर्ष 2003 में केन्द्र सरकार ने विजय केलकर के तहत एक टास्क



फोर्स का गठन किया, जिसने वर्ष 2004 में राष्ट्रीय आधार पर पूरी तरह से एकीकृत 'जीएसटी' की सिफारिश की।

- तत्कालीन केन्द्रीय वित्तमंत्री पी. चिदम्बरम द्वारा वर्ष 2006-07 का बजट प्रस्तुत करते हुए, घोषणा की गयी कि GST भारत में 1 अप्रैल, 2010 से लागू होगा। तब से GST ने अनेक अंतिम तिथियों को पीछे छोड़ दिया और निरंतर अनिश्चितताओं के बादलों से घिरा रहा।
- GST के पुनुत्थान की बातों ने 2014 में जोर पकड़ा जब NDA की सरकार ने संविधान (122वां संशोधन) विधेयक 2014 लोकसभा में 19 दिसम्बर, 2014 को प्रस्तुत किया गया। लोकसभा ने इस विधेयक को 6 मई, 2015 को और राज्यसभा द्वारा 3 अगस्त, 2016 को इस पर अपनी स्वीकृति प्रदान की, और 50% से अधिक राज्यों द्वारा पुष्टि पश्चात् संविधान (122वां संशोधन) विधेयक, 2014 को 8 सितम्बर, 2016 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और यह विधेयक संविधान (101वां संशोधन) अधिनियम, 2016 के रूप में पारित हुआ, जिससे भारत में जी. एस. टी. के प्रचलन का मार्ग प्रशस्त हो सका।
- अगले वर्ष में, 27 मार्च, 2017 को केन्द्रीय जीएसटी कानून केन्द्रीय माल एवं सेवा कर बिल, 2017, एकीकृत माल एवं सेवा कर बिल, 2017, केंद्रशासित प्रदेश का माल और सेवा कर बिल 2017 और माल एवं सेवाकर बिल (राज्यों को मुआवजा), 2017 लोकसभा में पेश किए गए थे। लोकसभा ने 29 मार्च, 2017 को ये बिल पारित किए और 12 अप्रैल, 2017 को राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद बिल अधिनियमित किए गए। विभिन्न राज्य विधानसभाओं द्वारा राज्य जीएसटी कानूनों के अधिनियमन के बाद केंद्रीय अधिनियमों को लागू किया गया था। तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, गोवा और बिहार अपने-अपने राज्य जीएसटी कानूनों को पारित करने वाले पहले राज्य में थे। 30 जून, 2017 तक सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों ने जम्मूकश्मीर को छोड़कर, अपने-अपने एसजीएसटी और यूटीजीएसटी अधिनियमों को पारित किया था। 1 जुलाई, 2017 के प्रभाव के साथ, ऐतिहासिक अप्रत्यक्ष कर सुधार जीएसटी पेश किया गया था। जीएसटी कानून 8 जुलाई, 2017 को जम्मू और कश्मीर तक बढ़ा दिया गया था।





- जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर सुधार को तोड़ने का रास्ता है जो आम राष्ट्रीय बाजार बनाने का प्रयास करता है। जीएसटी ने कई अप्रत्यक्ष करों जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, सीएसटी, लकजरी टैक्स, मनोरंजन टैक्स, एंट्री टैक्स आदि का समावेश किया है।
- वैट और जीएसटी का उपयोग अक्सर अन्तर परिवर्तनीय रूप से किया जाता है क्योंकि उत्तरार्द्ध वस्तुओं और सेवाओं के कवरेज द्वारा वैट की व्यापकता को दर्शाता है। 1954 में फ्रांस वैट/जीएसटी लागू करने वाला पहला देश था। वर्तमान में 160 से अधिक देशों ने किसी न किसी रूप में वैट/जीएसटी कार्यान्वित किया है क्योंकि इस कर में राजस्व बढ़ाने की क्षमता सबसे पारदर्शी और तटस्थ तरीके से है। अधिकांश देश एकीकृत जीएसटी का पालन करते हैं अर्थात्, पूरे देश में एक एकल कर लागू होता है। हालांकि, ब्राजील और कनाडा जैसे संघीय नीतियों में, एक दोहरी जीएसटी



प्रणाली प्रचलित है। दोहरी प्रणाली के तहत, जीएसटी दोनों संघीय और राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है। भारत ने भी दोहरी जीएसटी को अपनाया है।

### 5. जीएसटी की अवधारणा (Concept of GST)



भारत में GST के सम्बन्ध में आलोचना करने से पूर्व, सर्वप्रथम हमें GST की मूल अवधारणा को समझना आवश्यक है :

- 1. GST एक मूल्य सम्बर्धित कर है जो माल और सेवाओं के निर्माण, विक्रय और उपभोग पर उद्गृहीत होता है **VALUE ADDED TAX**
- 2. उत्पादक के स्थान/सेवा प्रदायक के स्थान से प्रारम्भ करके फुटकर विक्रेता/उपभोक्ता स्तर तक निरंतर और विस्तृत कर क्रेडिट की शृंखला GST प्रदान करता है, जिससे सम्पूर्ण पूर्ति शृंखला में प्रत्येक स्तर पर केवल मूल्य सम्बर्धन ही करारोपित होता है। **CONTINUOUS CHAIN OF TAX CREDITS**
- 3. प्रत्येक स्तर पर पूर्तिकर्ता को क्रय पर चुकता GST का क्रेडिट, उसके द्वारा देय GST के विरुद्ध उपलब्ध होता है। इस प्रकार केवल अंतिम उपभोक्ता ही पूर्ति शृंखला में अंतिम पूर्तिकर्ता द्वारा चुकता GST का भार वहन करता है, और प्रत्येक पूर्ववर्ती स्तरों पर सेटऑफ का लाभ उपलब्ध होता है। **BURDEN BORNE BY FINAL CONSUMER**
- 4. चूँकि, GST के अधीन प्रत्येक स्तर पर मूल्य सम्बर्धन ही करारोपित होता है, अतः कर पर कर अथवा करों का कास्केडिंग प्रभाव GST में नहीं पाया जाता है। GST में माल और सेवाओं में कोई अंतर नहीं है, अतः दोनों पर एक ही दर से करारोपण होता है। **NO CASCADING OF TAXES**

### 6. भारत में जी.एस.टी. की आवश्यकता (Need for GST in India)



**मूल्य सम्बर्धित करारोपण प्रणाली की कमियाँ (Deficiencies in the value added taxation system)**

पहले अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के तहत केन्द्रीय स्तर पर केन्द्रीय वैट के रूप में और राज्य स्तर पर राज्य वैट के रूप में मूल्य-कराधान का सिद्धांत लागू किए जाने के बावजूद उसका अनुप्रयोग निम्नलिखित कारणों से हमेशा टुकड़े-टुकड़े बना रहा और टुकड़ों में विभाजित होता रहा :

- ट्रांजेक्शन के दोहरे कराधान में माल और सेवाओं, जैसा कि वस्तुओं और सेवाओं के बीच भेद अक्सर धुँधला हो गया था, उदाहरण के लिए सॉफ्टवेयर वैट और सर्विस टैक्स दोनों के लिए उत्तरदायी था।
- CENVAT ने उत्पादन के चरण के नीचे वितरण व्यापार में मूल्यवर्धन की शृंखला को शामिल नहीं किया। इसी तरह, राज्य-स्तरीय वैट में, माल पर CENVAT भार को करों के कैस्केडिंग के कारण नहीं हटाया गया। वर्णन करने के लिए, जब माल का निर्माण और बिक्री की जाती थी, तो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (CENVAT) और राज्य-स्तरीय वैट दोनों लगाया जाता था।
- हालांकि CENVAT और राज्य-स्तरीय वैट अनिवार्य रूप से मूल्यवर्धित कर थे, लेकिन दूसरे के क्रेडिट के खिलाफ एक का मूल्य सम्मिलित कर लेना संभव नहीं था क्योंकि CENVAT एक केन्द्रीय लेवी था और राज्य-स्तरीय वैट राज्य का लेवी था।
- राज्यों में कई कर थे, जैसे लक्जरी कर, मनोरंजन कर, जो वैट में शामिल नहीं थे।
- सेवा कर के फलस्वरूप होने वाले प्रभाव को दूर करने के लिए माल पर वैट की सेवाओं पर कर के साथ एकीकृत नहीं किया गया। अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र सबसे तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए राज्यों के कर आधार से सेवाओं के अपवर्जन से कर में उछाल की सम्भावना कम हो गई है।
- CST अपने कैस्केडिंग प्रकृति के संदर्भ में विकृति का एक और स्रोत था क्योंकि यह नॉन-वैटेबल था। मूल आधारित कर होने के नाते CST उपभोग करों के मूल सिद्धांतों में से एक के खिलाफ भी था जो कर उस क्षेत्राधिकार के लिए अर्जित करना चाहिए जहाँ खपत होती है।

<p>राज्य वैट में अनेक राज्य कर शामिल नहीं थे; जैसे-विलासिता कर, मनोरंजन कर आदि।</p>	<p>करों के व्यापक प्रभाव के कारण (i) गैर कराधान का उदग्रहण CST और (ii) कर उदग्रहणीय मूल्य में सेनवेट का शामिल होना।</p>	
<p>निर्माणी स्तर के पश्चात् सेनवेट लागू नहीं था।</p>	<p>वैट और सेवाकर का गैर-एकीकरण</p>	<p>माल एवं सेवा दोनों रूपों में दोहरी कर देयता</p>

जी.एस.टी. विद्यमान अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के रोग निवारक (GST—A cure for ills of existing indirect tax regime)



**वस्तु और सेवा कर (GST)**  
भारत की विकास रणनीति में महत्वपूर्ण हिस्सा

एक आर्थिक भारत का निर्माण

भारत पहल करने के लिए प्रोत्साहन

माल और सेवाओं का मुक्त प्रवाह

रोजगार को बढ़ावा देने के लिये आर्थिक गतिविधि में वृद्धि

राष्ट्र कर बाजार

माल और सेवाओं दोनों को शामिल करते हुए, एक विस्तृत कर संरचना के रूप में माल एवं सेवाकर में इन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया है। केन्द्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर GST के प्रचलन द्वारा माल और सेवाओं पर एकीकृत करारोपण व्यवस्था से सेटआफ के उद्देश्य से यह सुनिश्चित करता है सेनवेट और सेवाकर दोनों का व्यापक प्रभाव दूर करने के साथ सम्पूर्ण वितरण शृंखला (निर्माता/सेवा प्रदाता से फुटकर विक्रेता/ उपभोक्ता तक) में सेटआफ (ITC) का लाभ उपलब्ध होता है।

GST व्यवस्था में, प्रमुख अप्रत्यक्ष करों को GST में समाहित कर दिया गया है। पूर्ववर्ती अवधारणाएँ निर्माण अथवा माल का विक्रय अथवा सेवा प्रदान करना—अब लागू नहीं होती हैं क्योंकि अब करारोपण “माल/सेवाओं की पूर्ति” पर होता है।




## 7. भारत में प्रचलित जी.एस.टी. की संरचना (Framework of GST as Introduced in India)

### (i) दोहरा GST (Dual GST)


भारत ने देश के संघीय ढाँचे को देखते हुए एक दोहरी जीएसटी मॉडल को अपनाया है। परिणामस्वरूप केंद्र और राज्य एक साथ राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में होने वाले माल या सेवाओं या दोनों की कर योग्य आपूर्ति पर जीएसटी का उदग्रहण करते हैं। इस प्रकार केंद्र और राज्यों द्वारा समवर्ती रूप से कर लगाया जाता है, यानि केंद्र और राज्य एक साथ कर वस्तुओं और सेवाओं पर एक साथ कर लगाते हैं। अब केंद्र को अंतर्राज्य बिक्री कर और राज्यों को कर सेवाओं का भी अधिकार प्राप्त है। जीएसटी जम्मू और कश्मीर राज्य सहित पूरे भारत तक फैला हुआ है।

## Dual GST



### (ii) CGST/SGST/UTGST/IGST

- ✍ GST उद्देश्य आधारित ऐसा कर है जो माल एवं सेवाओं के ऐसे प्रत्येक लेन-देन पर लागू होता है जो प्रतिफल के लिये (अपवाद सहित) होते हैं। भारत में प्रचलित CGT में Central Goods and Service Tax (CGST) का उद्ग्रहण एवं संग्रहण केन्द्रीय सरकार द्वारा, State Goods And Service Tax (SGST) का उद्ग्रहण और संग्रहण राज्य सरकारों/विधान मण्डल वाले केन्द्रशासित प्रदेशों द्वारा और Union Territory Goods and Service Tax (UTGST) का उद्ग्रहण एवं संग्रहण का बिना विधानमण्डल वाले केन्द्रशासित प्रदेशों द्वारा—माल एवं सेवाओं की राज्य के अन्दर पूर्तियों पर लागू होते हैं।
- ✍ माल/सेवाओं की अन्तर्राज्यीय पूर्तियों पर IGST लागू होता है जोकि CGST और SGST की राशि के योग के बराबर होता है, इसका उद्ग्रहण एवं संग्रहण केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है।



**(iii) वैधानिक संरचना (Legislative Framework)**

- ✍ CGST के उद्ग्रहण के लिये एक विधान—CGST Act, 2017 है। इसी प्रकार, बिना विधानमण्डल वाले केन्द्र शासित प्रदेशों के लिये (अण्डमान निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव और चण्डीगढ़) UTGST Act, 2017 के अधीन UTGST उद्ग्रहीत किया जाता है। राज्य और ऐसे केन्द्रशासित प्रदेश (दिल्ली और पुदुचेरी) जिनके अपनी विधान सभाएँ हैं, SGST के उद्ग्रहण एवं संग्रहण के लिये अपने-अपने विधान हैं।
- ✍ हालांकि कई SGST कानून हैं, कानून की बुनियादी विशेषताएँ, जैसे कि दानशीलता, कर योग्य घटना और कर योग्य व्यक्ति की परिभाषा, वस्तुओं और सेवाओं का वर्गीकरण और मूल्यांकन, कर संग्रह और लेवी के लिए प्रक्रिया और सभी SGST विधानों में समान है। जहाँ तक संभव है दोहरी GST के सार को संरक्षित करने के लिए यह आवश्यक है।

**Legislative Framework****(iv) माल और सेवाओं का वर्गीकरण (Classification of goods and services)**

- ✍ HSN (हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर) का प्रयोग GST के अधीन माल के वर्गीकरण के लिये किया जाता है।
- ✍ सेवाओं के वर्गीकरण के लिये एक नवीन पद्धति का प्रचलन किया गया है, जिसमें विभिन्न विवरणों वाली सेवाओं को विभिन्न भागों में वर्गीकृत किया गया है। प्रत्येक समूह में विभिन्न सेवा कोड्स (टैरिफ) शामिल हैं। सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की प्रथम अनुसूची में ऐसा वर्गीकरण दिया गया है।

**Classification of goods and services****(v) संयोजन योजना (Composition Scheme)**

- ✍ जी. एस. टी. व्यवस्था में करों (CGST, राज्य के अन्दर पूर्तियों के लिए SGST/UTGST तथा अन्तर्राज्यीय पूर्तियों पर IGST) का भुगतान प्रत्येक कर योग्य व्यक्ति द्वारा देय होता है, और इस सम्बन्ध में प्रावधान विधान में निर्धारित हैं।
- ✍ हालांकि, छोटे व्यवसायों को राहत देने के लिए, मुख्य रूप से निर्माता, खाद्य लेखों के आपूर्तिकर्ता व्यापारी, आदि, इंड्रा-स्टेट आपूर्ति करते हैं, करों का भुगतान करने का एक सरल तरीका निर्धारित किया जाता है, जिसे संघटन लेवी कहते हैं। इसके अतिरिक्त, छोटे सेवा प्रदाताओं के लिए भी, कर की रियायती दर निर्धारित करने वाली एक योजना तैयार की गई है।

**Composition Scheme****(vi) पंजीकरण (Registration)**

- ✍ वस्तुओं और/या सेवाओं के प्रत्येक आपूर्तिकर्ता को राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में पंजीकरण प्राप्त करने की आवश्यकता होती है जहाँ से वह कर योग्य आपूर्ति करता है यदि उसका कुल कारोबार वित्तीय वर्ष के दौरान द्वार सीमा से अधिक हो।

**Registration**

<p>माल और सेवाओं दोनों के लिए ₹ 10 लाख की दहलीज सीमा वाले राज्य</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● मणिपुर</li> <li>● मिजोरम</li> <li>● नगालैंड</li> <li>● त्रिपुरा</li> </ul>	<p>माल और सेवाओं दोनों के लिए ₹ 20 लाख की दहलीज सीमा वाले राज्य</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● अरुणाचल प्रदेश</li> <li>● मेघालय</li> <li>● सिक्किम</li> <li>● उत्तराखण्ड</li> <li>● पुदुचेरी</li> <li>● तेलंगाना</li> </ul>	<p>माल के लिए ₹ 40 लाख और सेवाओं के लिए ₹ 20 लाख की दहलीज सीमा वाले राज्य**</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● जम्मू और कश्मीर</li> <li>● असम</li> <li>● हिमाचल प्रदेश</li> <li>● अन्य सभी राज्यों में</li> </ul>
---	---	---

\*\* अनन्य रूप से माल की अन्तर्राज्यीय आपूर्ति में लगे व्यक्ति।

(vii) विमुक्तियाँ (Exemptions)

- लघु स्तरीय व्यवसाय को राहत प्रदान करने के अतिरिक्त, विधान में ऐसे प्रावधान हैं जिनके अधीन आवश्यक माल/सेवाओं की पूर्तियों पर कर-भुगतान के लिये विमुक्तियाँ स्वीकृत की गयी हैं।

**Exemptions**

(viii) क्रेडिट का निर्बाध प्रवाह (Seamless flow of credit)

- चूँकि GST एक गंतव्य आधारित उपभोग कर है, SGST से आय प्रायः उपभोक्ता राज्य को उपार्जित होती है। निर्यातक राज्य में अन्तर्राज्यीय पूर्तिकर्ता को IGST, CGST और SGST/UTGST (इसी क्रम में) का क्रेडिट इसके द्वारा की गयी अन्तर्राज्यीय पूर्ति पर देय IGST के विरुद्ध किया जा सकता है।
- आयातक राज्य में क्रेता द्वारा की गयी अन्तर्राज्यीय क्रय पर चुकता IGST का क्रेडिट स्वीकृत होता है। अतः पूर्ववर्ती व्यवस्था से भिन्न जहाँ गैर वैटेबिल CST के कारण क्रेडिट शृंखला टूट जाती थी, GST के अधीन अन्तर्राज्यीय पूर्ति के मामले में भी निर्बाध क्रेडिट का प्रवाह उपलब्ध होता है।
- अन्तर्राज्यीय विक्रय से राजस्व निर्यातक राज्य को उपार्जित नहीं होता है और निर्यातक राज्य IGST के भुगतान में प्रयुक्त SGST/UTGST के क्रेडिट को, निर्यातक राज्य केन्द्र को अंतरित कर देता है।
- SGST/UTGST के भुगतान में प्रयुक्त IGST का क्रेडिट केन्द्र द्वारा आयातक राज्य को अंतरित कर दिया जाता है। GST के अन्तर्गत अंतर्राज्य और अन्तर्राज्यीय आपूर्ति के मामले में ऋण का निर्बाध प्रवाह अग्रलिखित चित्रों की मदद से बेहतर समझा जा सकता है—

**Seamless flow of credit**

### अन्तर्राज्यीय आपूर्ति (Intra State Supply)

#### उदाहरण (Illustration)

माल/सेवाओं की स्थानीय आपूर्ति के मामले में, आपूर्तिकर्ता आपूर्ति पर निर्दिष्ट दरों पर दोहरे GST, यानि CGST और SGST चार्ज करेगा।

#### I. A से B तक माल/सेवाओं की आपूर्ति।

	राशि (₹)
माल/सेवाओं की आपूर्ति के लिए वसूल किया गया मूल्य	10,000
जोड़ें : CGST @ 9%	900
जोड़ें : SGST @ 9%	900
माल/सेवाओं की स्थानीय आपूर्ति के लिए A से B द्वारा चार्ज किया गया कुल मूल्य	11,800

माल/सेवाओं की आपूर्ति के लिए B पर लगाए गए CGST और SGST को क्रमशः केंद्र और राज्य सरकार के उचित खाते में भेजा जाएगा।

A माल/सेवाओं का पहला चरण आपूर्तिकर्ता है और इसलिए, उसे CGST, SGST या IGST का श्रेय नहीं है।

#### II. B से C तक माल/सेवाओं की आपूर्ति—मूल्य वृद्धि @ 20%

B सामान/सेवाओं की खरीद पर उसके द्वारा अदा किए गए CGST और SGST के क्रेडिट का लाभ उठाएगा और CGST और SGST के खिलाफ इस तरह के क्रेडिट का उपयोग C द्वारा उसके द्वारा किए गए माल/सेवाओं की आपूर्ति पर देय होगा।

	राशि (₹)
माल/सेवाओं की आपूर्ति के लिए वसूल किया गया मूल्य	12,000
मूल्य (₹ 10,000 × 120%)	
जोड़ें : CGST @ 9%	1,080
जोड़ें : SGST @ 9%	1,080
माल/सेवाओं की स्थानीय आपूर्ति के लिए B से C द्वारा चार्ज किया गया कुल मूल्य	14,160

#### B द्वारा सरकार को देय CGST, SGST की गणना

	राशि (₹)
CGST देय	1,080
कम : CGST का क्रेडिट	900
केंद्र सरकार को देय CGST	180

SGST देय	1,080
कम : SGST का क्रेडिट	900
राज्य सरकार को देय SGST	180

**ध्यान दें**—सादगी की खातिर CGST और SGST की दरों को 9% माना गया है।

**केंद्र और राज्य सरकार की कमाई का बयान**

लेन-देन	केंद्र सरकार को राजस्व (₹)	राज्य सरकार को राजस्व (₹)
A से B तक माल/सेवाओं की आपूर्ति	900	900
B से C तक माल/सेवाओं की आपूर्ति	180	180
कुल योग	1,080	1,080

**अन्तर्राज्यीय आपूर्ति**

**उदाहरण (Illustration)**

वस्तुओं/सेवाओं की अन्तर्राज्यीय आपूर्ति के मामले में, आपूर्तिकर्ता आपूर्ति पर निर्दिष्ट दरों पर IGST चार्ज करेगा।

**I. राज्य 1 के X द्वारा राज्य 1 के A को माल/सेवाओं की आपूर्ति**

	राशि (₹)
माल/सेवाओं की आपूर्ति के लिए वसूल किया गया मूल्य	10,000
जोड़ें : CGST @ 9%	900
जोड़ें : SGST @ 9%	900
माल/सेवाओं की अन्तर्राज्यीय आपूर्ति के लिए X से A द्वारा चार्ज किया गया कुल मूल्य	<u>11,800</u>

X माल/सेवाओं का पहला चरण आपूर्तिकर्ता है और इसलिए, उसे CGST, SGST या IGST का कोई क्रेडिट नहीं है।

**II. राज्य 1 के A द्वारा राज्य 2 के B को माल/सेवाओं की आपूर्ति—मूल्य वृद्धि @20%**

	राशि (₹)
माल/सेवाओं की आपूर्ति के लिए वसूल किया गया मूल्य (₹ 10,000 × 120%)	12,000
जोड़ें : IGST @ 18%	<u>2,160</u>
माल/सेवाओं की अन्तर्राज्यीय आपूर्ति के लिए A से B द्वारा चार्ज किया गया कुल	<u>14,160</u>

## सरकार को देय IGST की गणना

	राशि (₹)
IGST देय	2,160
कम : CGST का क्रेडिट	900
कम : SGST का क्रेडिट	900
केंद्र सरकार को देय IGST	360

सामानों/सेवाओं की आपूर्ति के लिए राज्य 2 के B पर लगाए गए IGST को राज्य 1 के A द्वारा केंद्र सरकार के उचित खाते में भेज दिया जाएगा। राज्य 1 (निर्यात राज्य) IGST के भुगतान में उपयोग किए गए ₹ 900 के SGST क्रेडिट को केंद्र सरकार को हस्तान्तरित करेगा।

**III. राज्य 2 के B द्वारा राज्य 2 के C को माल/सेवाओं की आपूर्ति—मूल्य वृद्धि @ 20%.**

B सामान/सेवाओं की खरीद पर उसके द्वारा अदा किए गए CGST और SGST के क्रेडिट का लाभ उठाएगा और CGST और SGST के खिलाफ इस तरह के क्रेडिट का उपयोग C द्वारा उसके द्वारा किए गए स्थानीय माल/सेवाओं की आपूर्ति पर देय होगा।

	राशि (₹)
माल/सेवाओं की आपूर्ति के लिए वसूल किया गया मूल्य (₹ 12,000 × 120%)	14,400
जोड़ें : CGST @ 9%	1,296
जोड़ें : SGST @ 9%	<u>1,296</u>
माल/सेवाओं की स्थानीय आपूर्ति के लिए B से C द्वारा चार्ज किया गया कुल	<u>16,992</u>

## सरकार को देय CGST, SGST की गणना

	राशि (₹)
CGST देय	1,296
कम : IGST का क्रेडिट	1,296
केंद्र सरकार को देय CGST	शून्य
SGST देय	1,296
कम : IGST का क्रेडिट (₹ 2,160 – ₹ 1,296)	<u>864</u>
राज्य सरकार को देय SGST	<u>432</u>

केंद्र सरकार राज्य 2 (आयात राज्य) में SGST के भुगतान में उपयोग किए गए ₹ 864 के क्रेडिट का हस्तान्तरण करेगी।